

LATHI-CHARGING OF DEMONSTRATORS INSIDE PARLIAMENT STREET POLICE STATION—(Contd.)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Madam Vice-Chairperson, a short while ago I got information from my colleague, Shri Barnala, that in this House an issue regarding a demonstration in Delhi being lathi-charged was raised and that the Chair desired that I should make a statement before the House adjourns. I immediately called the Commissioner of Police, Delhi and got the broad facts and all the details. It is not a prepared statement. But whatever I have been able to gather, I would like to place before the House.

I am told that this morning several thousand activists of the Youth Congress or the NSUI — whatever organisation it was — demonstrated at the Jantar Mantar. They were protesting against the raising of the retirement age from 58 years to 60 years. There were two cordons. The demonstrators broke those two cordons and courted arrest. Those arrested were taken to the Parliament Street Police Stations and detained under Section 65 of the Delhi Police Act. After a short while, they were released. After their release was announced, they started going out. It was only in the process of going out some of them suddenly started pelting stones at the police there. Then there was a kind of clash between the police and the demonstrators who had been released by the police. Their release had been announced.

As to what shape it exactly took, the police informed me that the situation became so unruly that the police was constrained to resort to a mild lathi-charge and tear-gas shelling as also water cannons. As a result of this, seven of the demonstrators and 12 policemen have been injured, though none of them was injured seriously. These are the essential facts that I have been able to gather from the Commissioner of Police. If the House so desires, I will make a detailed statement tomorrow.

SHRI GHULAM NABI AZAD (Jammu and Kashmir): Madam, we don't have any objection to the arrest of the demonstrators. But students and youths were beaten up inside the Police Station. We are very much concerned about it. That is very objectionable.

SHRI S. S. SURJEWALA (Haryana): Madam, I would like to seek one clarification. (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): The Minister has said that ... (Interruptions).

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Madam, I would request the Home Minister to inquire into the matter. An MLA Shri Jai Krishan's hand has been broken by the police. I had also been a Home Minister. The police always gives its own version. It is for the Home Minister to find out the real truth. That is the main point. They always try to defend themselves. Twelve policeman can go to a hospital and then they can say that they were seven and we were 12. This is a trick of the police. Both of us know it. I want him to find out the truth. We would like to know: What actually happened and why were they beaten up without any provocation?

SHRI S. S. SURJEWALA: Madam, I would like to know from the hon. Home Minister: Since when is he depending upon only the Commissioner of Police for seeking information about public demonstrations, lathi-charge, etc? He, as a Leader of the Opposition, and his party have always been taking a stand that the police version is nothing. Has he not got any other source from where he can know the truth as to what exactly happened and what the police did? The police version is always one-sided. They will never admit that they are at fault. Actually, very young people have been treaded very shabbily and they were beaten up by the police. This is a cock and bull story that while they were going out after the release, they suddenly started pelting stones. How can it be? If the police says that while they were

coming in a procession, they pelted stones, then somebody can believe it. But it is not believable that when they were going out after their release, they started pelting stones. How can it be? They are not mad. Therefore, the police version is not enough. We would like to have more information about it from other sources.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, as the hon. Home Minister has expressed, it will be desirable to have a full-fledged statement tomorrow instead of just going on the basis of the telephonic conversation between the hon. Minister and the Commissioner of Police. It will be appropriate if we have a full-fledged statement from the hon. Home Minister.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, there have not been too many such occasions in the past. I have been in Parliament for a pretty long time. Mr. Advani is here for a longer period. There have not been such occasions in the past and even if there were any, there have been too few. In the city of Delhi, in everybody's presence, the people were pelting stones at the police station. How many stones they could have got at the Parliament Street, I do not understand. Probably, they were having stones in their pockets. That is a different story. I would like to know what the immediate provocation was for pelting stones. Then, I may have to conclude that these students being of the Congress party were deliberately sent by Mrs. Sonia Gandhi to pick up a trouble with Shri Advani. That is the political conclusion. Anyway, I don't like to go into that. What I am saying is that Mr. Advani knows the police too well and he has his own people in the police. Without depending exactly on the version as given out to the Minister, let him take the trouble of finding himself in the way he can because the police does not belong to the BJP or the Congress. Police belongs to police. They have the inherent capacity of inventing stories and coming out in defence in support of what was done. I would im-

plore upon the Minister to find out the fact as it happens.

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, गृह मंत्री जी ने बताया कि पुलिस कमिश्नर से जो तथ्य उनके मिले हैं उस आधार पर उन्होंने हमको सूचित किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वे रिलीज कर दिए गए उसके बाद ऐसी कौन सी बात हो गई कि लाठी-चार्ज शुरू हो गया, टियर गैस छोड़ी गई और पानी भी छोड़ा गया। ऐसा जिसको कहते हैं कि प्रोवोकेशन हो जाए, यह तथ्य जो पुलिस कमिश्नर द्वारा बताया गया है उसमें सच्चाई नहीं लगती, इसमें जरूर कोई बात है। जहां तक है कि इस सरकार के आने के बाद दिल्ली में दो बार लाठी-चार्ज हो चुका है — एक बी०एस०पी० के डिमॉन्स्ट्रेशन पर और आज कांग्रेस के डिमॉन्स्ट्रेशन पर। तो हम गुरुदास दासगुप्त जी से सहमत हैं कि पुलिस तो पुलिस है, आज इनके राज में वह लाठी-चार्ज चला रही है और अगर यही आदत बनी रही तथा कल को यह नहीं रहेंगे तो वह लाठी-चार्ज इन पर भी होगा। इसलिए पुलिस का मन बढ़ाने के जरूरत नहीं है। जैसा गृह मंत्री जी ने कहा है वह स्टेटमेंट देंगे। हम चाहेंगे कि वह कल स्टेटमेंट दें। अगर हल्की लाठी-चार्ज से हाथ टूट जाता है तो यह पुलिस का वर्शन बिल्कुल गलत है कि माइल्ड लाठी-चार्ज से किसी का हाथ टूट जाए जिसको रवि जी ने कहा है कि इन सारे तथ्यों की जांच करके और कल माननीय गृह मंत्री जी सदन को बताएं और अगर पुलिस की ज्यादाती है तो उस पर कार्रवाई भी करें और इसकी सूचना हम लोगों को दें कि इस ज्यादाती पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है?

الاشري جلال الدين انصاري "بھار" اپ
سبھا اور صبح کیس مہودے، گڑھ مٹری جینے
بتایا کہ پولیس کمشنر سے جو تھوڑا سا
ہیں اس اور ہار پر انھوں نے ہم کو سوچت
کیا ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب
وہ سب سے بڑے گڑھ اس کے بعد ایسی
کون سی بات ہو گئی کہ لاٹھی چارج
شروع ہو گیا، فیر گیس چھوڑی گئی اور

[Transliteration in Arabic Script]

بانی بھی چھوڑا گیا۔ ایسا جسکو کہتے ہیں
 کہ پروویشن ہو جائے یہ تو خود جو پولیس
 کمشنر دوارا بتایا گیا ہے اس میں سچائی
 نہیں لگتی بلکہ اس میں ضرورتوں کی بات ہے جہاں
 تک ہے کہ اس سرکار کے لئے جو دہلی میں
 دوبارہ لائی جا رہی ہے ایک ہی۔
 ایس۔ پی۔ کے ڈیمنسٹریشن پر تو ہم
 محدود اس داس جی سے سمجھتے ہیں کہ
 پولیس تو پولیس ہے، آج ان کے راج
 میں وہ لائی چلا رہی ہے اور اگر یہی حالت
 بنی رہی مانتھا کل کو یہ نہیں رہتا تو وہ
 لائی چارج ان پر بھی ہو گا۔ اس لئے
 پولیس کا میں بلکہ جاننے کی ضرورت نہیں
 ہے۔ جیسا اگر مقررہ جی نے کہا ہے وہ
 اسٹیٹمنٹ دینگے۔ ہم چاہیں گے کہ وہ
 کل اسٹیٹمنٹ دیں۔ ہائی لائی چارج
 سے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ پولیس کا
 ورکشاپ بالکل غلط ہے کہ مانتھا لائی
 چارج سے کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے
 جسکو روی جی نے کہا ہے کہ اس سلسلے
 تحقیق کی جانچ کر کے اور کل مانتھا گرہ منی
 جی سدرن کو بتائیں اور اگر پولیس کی
 زیادتی ہے تو اس پر کارروائی بھی
 کریں اور اسکی سوجنا ہم لوگوں کو دیں
 کہ اس زیادتی پر غصہ نے کیا کارروائی
 کی ہے [5]

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, I have just one more point to add. The hon. Home Minister has been kind enough to assure the House that he will make a full-fledged statement tomorrow in the House. So, we can clarify whatever doubts we have. But what we are really concerned about is the act itself, the act of lathi charge and that too within the police premises. It is violative of the fundamental right of the freedom of association and the freedom of expression. This is what concerns us. Now, whatever be the police version, the Government will definitely have to ensure that if there is curtailment or infringement of the fundamental rights, there should not be a recurrence of this kind of an incident in future.

श्री ओम प्रकाश कोहली (दिल्ली): इमरजेसी में फंडामेंटल राइट्स कहाँ गए थे?

श्री नीलोत्पल बसु: मैडम, इन लोगों को एक नई बीमारी शुरू हो गई है जो-जो गलत काम होता है उसको जस्टिफाई करने के लिए पिछले दिनों में क्या-क्या हुआ था उसको दोहराया जाता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई और बात नहीं हो सकती। इन चीजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की है, जंग छेड़ी है। यह दावा करते हैं और उन चीजों को दोहराते भी हैं। जो-जो काम अगर गलत हुआ है उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता।

You cannot justify if there is something wrong which has been committed by invoking what has been done in the past. I think this is a very, very weak argument of those people whose case is indefensible. I think the hon. Home Minister has assured the House. He will definitely re-assure our confidence that we continue to be a democratic country where the fundamental rights enshrined in the Constitution will be ensured. Thank you, Madam.

श्री ओम प्रकाश कोहली: मैडम, मैं भी बोलना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खाण्डे): मैं आपको मौका दूंगी।

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदया, गृह मंत्री जी का वक्तव्य आया, उन्होंने अपनी बात कही और पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट को सदन में बताया कि पुलिस कमिश्नर से हमें रिपोर्ट मिली है लेकिन गृह मंत्री जी, प्रजातंत्र के अंदर प्रदर्शन होते हैं। गिरफ्तारियां भी की जाती हैं लेकिन ऐसा इतिहास नहीं होगा कि पुलिस थाने के अंदर ले जाकर गिरफ्तार करके उनकी पिटाई कर दी जाए, उनकी मार-पीट की जाए। एक अजीब बात है। आपने भी कई प्रदर्शन किए होंगे, आपके ऊपर भी लाठीचार्ज हुए होंगे लेकिन थाने के अंदर ले जाकर नहीं किया होगा क्योंकि आज ऐसी प्रवृत्ति बन रही है। पुलिस की कि चाहे आपके खिलाफ हो चाहे हमारे खिलाफ हो, जहां भी प्रदर्शन होते हैं, इस प्रकार का अत्याचार किया जाता है और मैं यह मानता हूँ कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता....

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खारपडे): मीणा जी, मंत्री महोदय ने कहा है कि मैं पूरी स्टेटमेंट कल करूंगा। आप कले पृष्ठिएणा। अभी संक्षेप में बोलिए।

श्री मूलचन्द मीणा: मैं चाहूंगा कि मंत्री जी, जब आप स्टेटमेंट दें तो यह देखें। जहां तक पत्थर फेंकने की बात है तो पहले जब वे ज्यादा संख्या में थे, उस समय तो उन्होंने शांतिपूर्ण गिरफ्तारियां दे दीं और जब थाने से रिलीज हो रहे थे तो समझ में नहीं आता है कि उन्होंने पत्थर क्यों चलाए होंगे? क्योंकि वे ज्यादा संख्या में तो नहीं थे। जब ज्यादा संख्या में थे तब तो शांतिपूर्ण थे। इसलिए इसमें कहीं न कहीं पुलिस दोषी है। तो आप जब स्टेटमेंट दें तो उन अधिकारियों को भी ध्यान में रखें कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? वह भी आपकी स्टेटमेंट में आ जाए तो अच्छा होगा और ऐसे अधिकारियों को सबक मिलेगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो प्रजातंत्र में होते हैं, उनको रोकने की दादागिरी जो अधिकारी करते हैं, उनको सबक मिल सके। इस प्रकार का वक्तव्य आप लाएं, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

श्री ओम प्रकाश कोहली: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय गृह मंत्री जी से जब वे कल वक्तव्य लाएं, चाहूंगा कि वे स्पेसिफिकली एक तो इस बिन्दु पर प्रकाश डालें कि क्या लाठीचार्ज थाने के भीतर हुआ है या थाने के बाहर हुआ है? कारण यह है कि मैंने भी कुछ गैर-पुलिस सूत्रों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है और मुझे यह जानकारी मिली है कि जो लाठीचार्ज हुआ है, वह थाने के बाहर हुआ है। तो भी गृह मंत्री जी से हम चाहेंगे कि एक तो इस स्पेसिफिक बिन्दु के बारे में वे कल जब अपना स्टेटमेंट दें तो बात स्पष्ट करें।

दूसरी बात हम यह जानना चाहेंगे कि यह प्रोवोकेशन जहां कहीं से भी हुआ, किसी भी तरफ से हुआ, वह प्रोवोकेशन किस नेचर का था? प्रोवोकेशन थाने के भीतर हुआ जिसके कारण थाने में लाठीचार्ज करने की ज़रूरत हुई या थाने के बाहर हुआ जिसके कारण थाने के बाहर की बात हुई?

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है लेकिन प्रदर्शन की भी एक मर्यादा है। उस मर्यादा को तोड़ने के बाद अपने दायित्व का निर्वाह प्रशासन को करना पड़ता है। जो लोग आज मूलभूत अधिकारों की बात करते हैं....(व्यवधान).....

SHRI VAYALAR RAVI: Madam,...(Interruptions)...We are the aggrieved party. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Please sit down. Mr. Vayalar Ravi, please sit down. I have not allowed you. (Interruptions)Please let him have his say. (Interruptions) No, this is unfair.

SHRI O.P. KOHLI: Madam, I am not yielding. I have not completed. (Interruptions)

SHRI O. RAJAGOPAL (Madhya Pradesh): He also has a right to speak.

SHRI O.P. KOHLI: I have not completed. (Interruptions)

श्री एस.एस. सुरजे वाला: ऐसे उनकी कौन से सोसेज़ हैं?

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Surjewala, let him have his say. You sit down. You had your say. Now let him say what he wants to say.

SHRI VAYALAR RAVI: He cannot justify the lathi-charge. What do you want to do?

श्री ओम प्रकाश कोहली: उपसभाध्यक्ष महोदया, इस घटना के संबंध में यहां मौलिक अधिकार की, मूलभूत अधिकार की, मौलिक आज़ादी के अधिकार की बात कही गई। मैं स्वीकार करता हूँ कि लोकतंत्र में यह अधिकार होना चाहिए। लेकिन यह अधिकार निरंकुश नहीं हो सकता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दिल्ली में प्रदर्शन करते हुए...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आज का जो हुआ है, उसके बारे में आप कहिए। पिछली बातें दोहराने के कोई फायदा नहीं है।

श्री ओम प्रकाश कोहली: हमारे माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, डा० मुरली मनोहर जोशी जी और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया। 26 फरवरी की घटना को हम नहीं भूले हैं जब यहां पर निर्मम लाठी चार्ज किया गया। जब वह कृत्य किया गया तो वह सही हो सकते हैं। मेरा यह कहना है कि प्रदर्शन करने का अधिकार लोकतंत्र में होते हुए भी यह निरंकुश अधिकार नहीं है। इसलिए हम गृह मंत्री जी से यह भी जानना चाहेंगे कि प्रदर्शनकारियों का आचरण और व्यवहार क्या मूलभूत अधिकारों के अनुरूप था या उसका उल्लंघन होने वाला था।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: मैडम, यह कौन सी डिक्शन हो रही है? यह क्या कह रहे हैं?... (व्यवधान)... यह कौन सी व्याख्या कर रहे हैं?... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Surjewalaji, please sit down.

SHRIMATI SHABANA AZMI (Nominated): Madam, as somebody who has taken part in several demonstrations and has been the victim of trumped-up charges by the police, I would join my colleagues in expressing my scepticism at the fact that a mild lathi-charge can lead to the fracture of an arm.

The right to protest is something that is democratically given to us. It is extremely important that very clear orders from the top are given to the police as to how they are to deal with these demonstrations. So, I would join my colleagues in asking that a fullfledged statement be given by the hon. Home Minister tomorrow.

श्री नरेश यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, जब कल माननीय गृह मंत्री जी पूरा वक्तव्य देंगे तो मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण उनसे चाहता हूं कि कल इस सदन

के सामने वह यह बताएं कि गिरफ्तार करके जब प्रदर्शनकारियों को थाने में लाया गया और थाने से उन्हें छोड़ दिया गया तो उस क्रम में पत्थर बाजी हुई। और जब पत्थर बाजी हुई, उस समय पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज किया। तो थाने पर जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय क्या उनकी जेब में नहीं देखा गया या पूरा चैक नहीं किया जाता है कि उनकी जेब में क्या रखा है, क्या नहीं रखा है? अगर चैक किया गया और उनको छोड़ा गया है तो क्या पुलिस की कस्टडी से छोड़ा गया है और कस्टडी से छोड़ने के बाद माननीय गृह मंत्री जी बताते हैं कि उसके बाद पत्थरबाजी हुई और उन्हीं प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की तो फिर पुलिस भी उसके लिए जिम्मेदार होती है। दूसरा इससे लगा हुआ प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि यह पत्थरबाजी जहां हुई, वहां इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग थे, सीआईडी के लोग, प्रशासन के भी लोग देखने वाले होंगे तो आखिर क्यों नहीं देखा गया कि पत्थर है या क्या रखा गया है? महोदया, कुछ भी रखा जा सकता है। इतना लूज प्रशासन दिल्ली का क्यों है? क्या गृह मंत्री जी का सारा प्रशासन तंत्र ढीला-ढाला हो गया है जो कि वहां देखा नहीं। हजारों लोग प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वहां कौन क्या कर सकता है, इसकी जिम्मेवारी गृह मंत्री जी को लेकर पूरे सदन को बताना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI OSCAR FERNANDES (Karnataka): Madam, I think there was an action plan and according to the action plan the lathi charge was done. The Rapid Action Force was deployed. People were lathi-charged inside the police station. The Youth Congress President was targeted. There was an attack on the Youth Congress President himself. I don't believe that the Youth Congress President could have gone violent inside the police station. Our youth had to surround the Youth Congress President to save him from the attack.

Then, the injured were not taken to the hospital. The first duty of the police was to rush those people, who were beaten inside the police station, to the hospital, which was not done.

I am happy that the Home Minister has come forward to say that he is going to make a statement tomorrow. But we demand that all the facts should be placed before the House.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें): नरेन्द्र मोहन जी, आप बोलना चाहेंगे। After that we will conclude.

श्री नरेन्द्र मोहन: अगर आप अनुमति दें तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि....(व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें): डिस्कशन नहीं हो रहा है, उनको कुछ कहना था।

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): मैं यह कहना चाहता था कि जिस तरह से एक राजनैतिक मोड़ देने की चेष्टा की गयी, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हमारे गृह मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि कल वह इसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे, उसके बाद इतने अधिक आरोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब कल सारी बातें आनी हैं तो कल फिर से प्रश्न होंगे। आधे घंटे से इस पर बहस हो रही है। मेरा इतना ही निवेदन है कि संभवतया गृह मंत्री जी ने जो तथ्य दिये हैं, उन पर वर्तमान की स्थिति में विपक्ष के लोगों को विश्वास नहीं है। गृह मंत्री जी इस दिशा में विचार कर लें कि जब वह अपना स्टेटमेंट देने आए तो क्या वह कोई जांच कराने की बात भी सोच करके आयेगे? क्या इस विषय पर कोई उच्चस्तरीय जांच करने की बात उनके मन में आ सकती है? अगर ऐसी भी कोई जानकारी मिल जाएगी तो उससे अच्छा होगा।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें): मुझे ऐसा लगता है कि मैंने टैजरी बैचिज की बातें सुनी हैं, विरोधी दल की बातें सुनी हैं और मेरे सामने जो माननीय सदस्य बैठे हैं, उनकी बातें भी सुनी हैं। प्रारम्भ में ही हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि आपने मुझे आदेश दिया स्टेटमेंट के साथ यहां उपस्थित होने का और मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन मेरे पास पूरी जानकारी अभी आई नहीं है। उन्होंने संदेश मिलते ही अपने पुलिस कमिश्नर को बुलाया, उनसे जो उनको जानकारी मिली वह जानकारी

उन्होंने सदन में दी है और स्वयं ही उन्होंने कहा है कि पूरी जानकारी के लिए मैं पूरा जो बयान देना चाहूंगा वह आपकी अनुमति से, मैं कल सदन के सामने रखना चाहूंगा। And this is fair enough. आई थिंक इसमें हम लोगों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आपकी पूरी क्लेरिफिकेशन होगी। मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बोलिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदया, मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं भी कुछ समय छोड़ करके इन 50 सालों में अधिक समय विपक्ष में रहा हूँ। अनेकों बार इस प्रकार के प्रदर्शनों में भाग लेने का अवसर आया है, गिरफ्तारी हुई है और इसीलिए यह जो प्रेन आशंका है अबाउट पुलिस वरसन, जो शबाना जी ने व्यक्त की वह सिनीसिज्म स्वाभाविक है, लेकिन वह स्वाभाविक होते हुए भी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इस अपने बयान में उतनी ही बातें कही जिनको मुझे लगा कि ये तथ्य लगते हैं, स्पष्ट लगते हैं। एक ही बात पर आशंका प्रकट की गई कि वह छूटने के बाद हुआ था अन्दर हुआ। उसके बारे में भी मैंने उनसे सवाल जवाब किए थे कि किस समय आपने घोषणा की, किस समय गिरफ्तारी की, किस समय छोड़ा? इसको उन्हें रिकार्ड करना पड़ता है। वह भी मैंने किया और उसके आधार पर मुझे लगा कि जितनी बातें मैंने कही हैं सदन में वह सही हैं और इसीलिए पुलिस पर आशंका करके चलने से और यह कहने से कि आप पुलिस का वरसन बता रहे हैं हम पुलिस के अपने इंस्ट्रूमेंट को लॉ एंड आर्डर को मेनटेन करने को प्रभावी साधन नहीं बना सकते। मैं मानता हूँ कि जितने तथ्य मुझे बताये गये हैं अब तक वह सही हैं और विस्तार से मैं उनसे जानकारी करके आपके सामने आऊंगा कल, यह मैंने शुरू में ही आपको आश्वासन दिया था।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापड़ें): बहुत-बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका कि आपने शुरू में ही यह आश्वासन दिया था और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत अधिक इसके बारे में चर्चा न करते हुए कल मंत्री जी जब अपना स्पष्टीकरण यहां पर देंगे, उसके आधार पर जो क्लेरिफिकेशन आप पूछना चाहेंगे वह आप जरूर पूछ सकते हैं। Now that chapter is closed...(Interruptions)...

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam I want to know whether the police themselves were involved in stoning.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Fernandes, please sit down. No more discussion on that please.

Would the Members like to sit for discussion on the General Budget beyond six o'clock or we can take it up tomorrow?

SOME HON MEMBERS: No, no. Take it up tomorrow.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): For discussing the General

Budget, we will sit beyond six o'clock tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): If the House so agree, we will adjourn now and take up the Budget Discussion tomorrow ...*(Interruptions)*... Okay. I adjourn the House till 11 a.m. on 9.6.1998.

The House then adjourned at twenty-nine minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 9th June, 1998.